मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग
निर्वाचन भवन, द्वितीय तल, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल
(ए–168 / रासूआ / 30–1 / बैतूल / 2006)

श्री मनोज जोगी, अपीलार्थी
पूर्व पार्षद,
मालवीय वार्ड
बैतूल

विरूद्ध

डॉ0 श्रीमती सी0के0ठाकुर, लोक सूचना अधिकारी,
मुख्य चिकित्सालय, बैतूल,

आदेश
(दिनांक 30 जून 2006)

श्री मनोज जोगी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है । अपीलकर्ता ने एक आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी को निम्न जानकारी प्राप्त करने के लिये दिनांक 18.10.2005 को प्रस्तुत किया था :–

A एडस से सम्बन्धित जानकारी वर्ष 2001 से 2005 तक–

1. एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटन प्रशासकीय स्वीकृति वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धित दस्तावेज़ की नकल ।
2. एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की सम्पर्ण व्यय सम्बन्धी जानकारी बिल वाऊचरकी नकल।

B. दीनदयाल उपचार योजना की जानकारी–

1. योजना प्रारंभ से लाभान्वित व्यक्तियों की सूची ।
2. प्रत्येक लाभान्वित व्यक्ति पर कितना व्यय किया गया की जानकारी सम्बन्धी दस्तावेज ।
3. योजना हेतु शासन से प्राप्त आवंटन सम्बन्धी दस्तावेज की नकल ।
4. योजना के प्रचार प्रसार पर व्यय सम्बन्धित बिल वाऊचर नकल ।

2. अपीलकर्ता का यह कहना है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की गई इसलिये उसने दिनांक 19.12.2005 को एक अपील अपीलीय अधिकारी को डाक से भेजी थी । इस अपील के प्रस्तुत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई इसलिये यह द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में प्रस्तुत की है।

3. अपील के बिन्दुओं पर लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी से प्रतिवेदन मांगा गया । अपीलीय अधिकारी संचालक स्वास्थ्य सेवायें ने अपने उत्तर में यह कहा है कि उन्हें कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है । लोक सूचना अधिकारी का यह कहना है कि उन्हें दिनांक 16.11.05 को अपील की जानकारी देने के लिये उपस्थित होने के लिये कहा था लेकिन वह उपस्थित नही हुए । अपीलकर्ता को जानकारी डाक के द्वारा भेजी गई थी जिसमें यह लिख कर आया है कि अपीलकर्ता अनिश्चित काल के लिये बाहर गये है इसलिये यह जानकारी उन्हे नहीं दी जा सकी ।

4. इस प्रकरण को सुनवाई के लिये दिनांक 28 जून 2006 को रखा गया था और अपीलकर्ता को सुनवाई के लिये उपस्थित होने के लिये सूचना दी गई थी लेकिन अपीलकर्ता सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हुए । लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी उपस्थित हुए। उन्हे सुना गया ।

5. इस प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी प्रदान करने की कार्यवाही की गई लेकिन अपीलकर्ता जानकारी प्राप्त करने के लिये उपस्थित नहीं हुये । उन्हें जानकारी रजिस्टर्ड डाक से भेजी गयी लेकिन वह अनिश्चित काल के लिये बाहर गये हुये थे इसलिये उन्हें जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी ।

5. ऐसी स्थिति में इस अपील का कोई औचित्य नहीं है । यह अपील अस्वीकृत की जाती है।

(टी.एन.श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त
30 जून 2006